Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

वर्तमान भारत में समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता एवं महत्व - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ सुषमा पाठक

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजामोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज, अयोध्या , उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 155-160
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा यहाँ समान धर्मनिरपेक्ष अचार संहिता का होना अति आवश्यक है। शिक्षा में वृद्धि , जागरूकता ,सद्भावना ,सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों पर उचित एवं वैध चर्चा करके हम समान नागरिक संहिता को वास्तव में सफल बना सकते है एवं समानता, एकता तथा एकीकरण की भावना का विकास कर राष्ट्र के विकास में तीव्रता ला सकते है ।

मुख्य शब्द– नागरिक, संहिता, समाजशास्त्रीय, भारत, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र **/**

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं अर्थात यहाँ किसी धर्म में भेदभाव ना होकर सभी धर्म एक सामान हैं । धर्मनिरपेक्ष भारत को एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता हैं । भारतीय समाज निरंतर परिवर्तित हो रहा हैं एवं जटिलता की तरफ उन्मुख हैं अत: देश के संचालन में सहूलियत लाने के लिए यह आवश्यक हैं की व्यक्तिगत कानून में समानता लायी जाये। भारत के संविधान को निर्मित हुए आज बहत्तर वर्ष हो गए हैं किन्तु संविधान के भाग चार के अनुच्छेद **44** जिसमें यह उल्लेख हैं की "नागरिको के लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान अधिकार हो " आज भी यथार्थ नहीं हो सका । यह शोधपत्र वर्तमान भारत में समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता एवं महत्व के साथ-साथ इसके इतिहास एवं इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता हैं । इस शोधपत्र के लिए विभिन्न प्रमाणित साहित्य , शोधपत्रों , समाचार लेखों एवं पुस्तकों का गहन अध्ययन किया गया हैं ।

"आइए हम अवसरों से युक्त एक ऐसे देश का निर्माण करें, जहां कानून के सामने हर कोई समान हो और जहां खेल के नियम न्यायसंगत, पारदर्शी और सभी के लिए समान हों।"

– वलोडिमिर ज़ेलेंस्की

समानता एक देश के प्रगति का प्रतीक हैं अर्थात जब एक देश, जात–पात,धर्म–समुदाय अमीरी–गरीबी से ऊपर उठ कर अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता हैं तभी वह प्रगति एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं अर्थात यह किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता एवं धार्मिक संस्थाओ के आधार पर निर्णय नहीं लेता, ना ही धार्मिक मामलों में हस्ताक्षेप करता हैं । भारत विश्व का द्वितीय सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हैं एवं यहाँ अत्यधिक

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

विविधता पायी जाती हैं, यहाँ उनके धर्म , समुदाय , जाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं । अनेक भाषा, धर्म, रीति-रिवाज़, एवं विश्वास आदि के होते हुए भी भारत में एकता पायी जाती हैं । भारत में अनेकता में एकता देखने को मिलती हैं । 1990 के दशक से भारत में तीव्र गति से विकास हो रहा हैं अत: यहाँ विकास एवं प्रगति के साथ अनेक जटिलताएं समाहित हो रही हैं। भारत की स्वतंत्रता एवं संविधान निर्मित होने से लेकर वर्तमान समय तक अनेक ऐसे मुद्दे सामने आये हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय एवं समाज में बदलाव लाने की ओर इशारा किया हैं । सामान नागरिक संहिता उसमे से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं , जिसको क्रियान्वित करने का उल्लेख हमारे संविधान में भी हैं ।

समान नागरिक संहिता कोई नयी अवधारणा नहीं है, यह ऐतिहासिक समय से चर्चा में है । समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) का अर्थ है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून का होना अथवा धर्मो के निजी वा व्यक्तिगत लॉ में एकरूपता लाना ।1775-1778 के बीच भारत में हिन्दू एवं मुस्लिम लॉ को यूरोपियन न्यायाधीशों की सहूलियत के लिए संकलित किया गया । इसके पश्चात 1835 में अंग्रेजी सरकार ने कोडिफिकेशन की बात आरम्भ की जिसमे इन्होने आपराधिक एवं साक्ष्य आदि से सम्बंधित कानूनों को कोडिफाई करना आरभ किया किन्तु हिन्दू एवं मुस्लिम के पर्सनल लॉ को इससे पृथक रखा। कोडिफिकेशन का अर्थ है कई सम्बन्धित कानूनों को व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थित करना । स्वतंत्रता के पूर्व अनेक कारणों से सरकार को 1941 में बी.एन राव समिति का गठन करना पड़ा जिसने हिन्दू लॉ को कोडिफाई कर दिया, हालाँकि यह प्रक्रिया 1950 तक चली एवं हिन्दू लॉ का संसोधन करके इसे कोडिफाई कर दिया गया किन्तु मुस्लिम लॉ अपरिवर्तित रहा ।

1951 में डॉ भीमराव आंबेडकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दू कोड बिल लाने की बात की तो इसे धर्म विशेष तक सिमित रखने के लिए उनके विवाद छिड़ गए ,अत: यह साफ है की समान नागरिक संहिता का मामला पहले से ही भारत में विवाद का विषय रहा है। ऐसे भिन्न-भिन्न कानून को देखते हुए समान नागरिक संहिता के सुझाव को सामने प्रस्तुत किया जाता है। समुदाय विशेष के व्यक्तिगत कानून ज्यादातर प्रतिगामिता से भरे हुए होते है एवं परिवर्तन के विरोधी होते है । प्रतिगामी प्रकृति को इसलिए सही कहा जाता है क्योकि यह कानून पितृसत्तात्मक सत्ता में परिवर्तन के प्रतिरोधी होते है, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर यह साबित किया है की निजी अथवा व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन लाया जा सकता है । 21वी सदी के समकक्ष चलने के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कानून प्रतिगामी प्रकृति के न हो, यदि प्रतिगामी सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्टभूमि निर्मित होती है तो इससे राष्ट्र के विकास एवं इसकी अर्थव्यवस्था पर अति घातक प्रभाव पड़ता है एवं पिछड़े पन में वृद्धि होती हैं । भारत में धर्म को जीवन जीने का तरीका मन जाता है , यह उचित है की हमे अपने धार्मिक विश्वासों एवं संस्कृतियों को सदैव जीवित रखना चाहिए किन्तु बदलते वक़्त के साथ कुछ कुरीतियां जो धर्म के नाम पे किसी का शोषण कर रही है उनका उन्मूलन अति आवश्यक है , सती प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह प्रतिबन्ध, तलाक़-ए-बिद्दत पर प्रतिबन्ध आदि इस दिशा में कुछ विशेष कदम उठाये गए जिसने देश में समानता एवं न्याय की भावना पल्लवित की।

जैसा की भली-भाँति ज्ञात है, सामाजिक परिवर्तन लाना सरल कार्य नहीं है, जब भारत एक महाशक्ति बनने की आकांक्षा से आगे बढ़ रहा है यदि महाशक्ति बनना है तो भारत की 50 % जनसंख्या जो की महिलाएं है उनको भी पितृसत्तात्मक विचारधारा एवं अधिक्रमण से मुक्त करा ना होगा अत: विकास के मार्ग पर आने के लिए "एक देश, एक कानून" के विचार को क्रियान्वित करना होगा। यह जरूरी नहीं है की समाज द्वारा स्वीकृत नीतियाँ समानता एवं लैंगिक समानता के मापदंड पे खरी उतरे, कुछ मुद्दे ऐसे होते है जो लम्बी लड़ाई की शुरुआत करने में सक्षम होते हैं। यह बात हमारे संविधान में अत्यंत स्पष्ट है की भारत जैसा देश जो मानवता , गणतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता पर चलता है यह किसी धर्म अथवा जाति का पक्ष नहीं

ले सकता किन्तु इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे भी उल्लिखित है जो धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा देते है इसी कारण अंतर्विरोध पैदा हो जाता है। इन्ही निजी कानूनों की छत्रछाया में अनेक धार्मिक विभेद के मामले हमारे प्रत्यक्ष आते ही रहते है एवं न्यायपालिका को न्याय देना पड़ जाता है। सर्वोच्च न्यायलय ने कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की अवश्यकता पर जोर दिया किन्तु राजनीतिक दल एवं सांप्रदायिक नेताओ के कारण अभी तक यह एक स्वप्न ही बन कर रह गया है । भारतीय जनता पार्टी जो अभी शासन में है कई बदलावों को लाके सामाजिक प्रगति का प्रयास कर रही है, अत: अपने बिल में समान नागरिक संहिता लाने पर बल दिया है एवं इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ कर दिया है ।

"कानून की आड़ में और न्याय के नाम पर जो अत्याचार किया जाता है, उससे बड़ा कोई अत्याचार नहीं है।"

–मॉन्टेस्क्यू

1980 में एक धार्मिक मुद्दे ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार की परीक्षा ली एवं सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मंच तैयार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की मुस्लिम महिला शाह बानो हज़ारो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गयीं। शाह बानो बेगम 62 वर्ष की उम्र में अप्रैल 1978 में अपने पति मोहम्मद अहमद खान (इंदौर के जाने माने वकील)द्वारा तलाक़ दिए जाने पर सेक्शन 125 (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973) के तहत अपने पति से जीवन यापन राशि प्राप्त करने के लिए लोकल कोर्ट में याचिका दायर की। इनकी इस याचिका के प्रतिउत्तर में मोहम्मद अहमद खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) का हवाला देते हुए निर्वाह निधि सिर्फ इद्दत अवधी तक प्रदान करने की बात कही एवं आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनके इस प्रतिउत्तर में इनका साथ दिया । आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो इससे मुस्लिन पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 का उल्लंघन होगा इसके उपरांत भी शाह बानो लोकल कोर्ट से मुकदमा जीत गयी एवं कोर्ट द्वारा 15 रुपये की जीवन निर्वाहन राशि तय की गयी । 1980 में पुन: शाह बानो ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जीवन निर्वाहन राशि को 179.80 करने की अपील की एवं इनके हक़ में फैसला लिया गया । इसके पश्चात मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचता है तथा 1980– 85 पांच साल की लम्बी अवधि तक न्यायिक जंग चलती है एवं सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग समानता के मुद्दे को सामने रखते हुए अप्रैल 23 1985 में फैसला शाह बानो के हक़ में सुनाया किन्तु कांग्रेस सरकार ने राजनैतिक लाभ देखते हुए 1986 में वर्डिक्ट ख़ारिज कर दी । शाह बानो ने वर्डिक्ट वापिस ले ली किन्तु इस निर्णय से ट्रिपल तलाक़ में इजाफा देखने को मिला ।

1986 के बाद 2019 मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन मैरिज लागु होने तक मध्य प्रदेश में 2280 मामले रिपोर्ट किये गए वही पे 2019 के बाद इनकी संख्या गिर के 32 हो गयी , कुछ ऐसा ही हाल वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आन्द्र प्रदेश, केरला, असम में भी देखने को मिला । इसी प्रकार रिजवान अहमद द्वारा 2016 में ट्रिपल तलाक़ (तलाक़– इ –– बिद्दत) देने पर शायरा बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की । सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशो की बेंच के बैठक में 3:2 की बहुमत से याचिका को स्वीकार करते हुए 22 अगस्त 2017 में ट्रिपल तलाक़ को असंवैधानिक करार दिया एवं 2019 में दा मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन मर्रिएजेस) एक्ट 2019 लागू किया, जिसके अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया । इसी प्रकार राजस्थान की मीना जनजाति की प्रतिभा मीणा ने आदिवासी संघ का निर्णय न मानते हुए एवं हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक़ के लिए फॅमिली कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की । समान नागरिक संहिता के आभाव में आये दिन अनेक मामले सामने आते रहते है, यह दर्शाता है की हमारे देश की उन्नति एवं व्यवस्था के लिए समान कानूनी नियम लाना अति आवश्यक है ।

आधुनिक समाज में आधुनिक विचारधारा के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुचछेद 44 में भारत के नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के विषय का उल्लेख है, इसमें सरकार को धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा भाषा से ऊपर उठ कर एक जैसा कानून बनाने एवं मानवीय गरिमा बनाये रखने की बात कही गयी है किन्तु यह अनुच्छेद आज भी उपेक्षा का पत्र बना हुआ है । पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे विश्व के अनेक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है एवं भारत में वर्ष 1961 से गोवा में भी समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू है । संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है तथा पिछले कुछ दिनों से उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने की बात ने तीव्रता धारण की है । समान नागरिक संहिता की मांग करने वाली अनेक याचीकाये दिल्ली के हाई कोर्ट में लंबित है । सर्वोच्च न्यायालय में सभी धर्म की महिलाओं के लिए विवाह सम्बन्धी ,एक सामान कानून, विवाह की समान उम्र, तलाक़ देने का समान अधिकार, गोद लेने का समान अधिकार, गुजारा भत्ता, मुस्लिमो में बहुविवाह को प्रतिबंधित करने से सम्बंधित कई मामले लंबित पड़े हुए है अत: यह सभी विषय भारत के नागरिकों के लिए सिविल कानूनों की मांग करते है ।

“मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता , समानता , और भाई –चारा सीखाये।”

–बी. आर. अम्बेडकर

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह, तलाक़, बच्चा गोद लेना एवं संपत्ति के बटवारा, गुजरा भत्ता एवं उत्तराधिकार जैसे विषयों पर एक समान कानून को लेन का लक्ष्य है जिससे पारिवारिक सम्बन्ध एवं अधिकारों में समानता आएगी। वर्तमान समय में हमारे धर्म, जाति, समुदाय एवं परंपरा के नाम पर विभिन्न नियमों को संचालित होने का अधिकार प्राप्त है जैसे -- किसी समुदाय में बच्चा गोद लेने पे रोक है तो किसी में शादी की उम्र कम है, किसी में बहुविवाह की अनुमति है तो किसी में पत्नी का संपत्ति पे अधिकार ना होना है। संविधान निर्मित होने के समय इस मुद्दे पे चर्चा की गयी थी किन्तु उस वक्त सामुदायिक परिस्थितियों ने इसके क्रियान्वयन को भविष्य में संभव बताया । 1954- 55 में अनेक अवरोधों के पश्चात भी समकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हिन्दू कोड बिल लाया जिससे विवाह और उत्तराधिकार विस्यक कानून हिन्दुओं के साथ- साथ बौद्ध, जैन एवं सिख समुदायों पर लागू हुए किन्तु मुस्लिम, क्रिस्चियन, जनजाति और पारसी समुदायों को अपने धार्मिक कानूनों पर चलने का अधिकार प्राप्त हुआ । शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ आज महिलाओं को भी अपने अधिकारों की जानकारी है एवं अब वह समय आ गया है जब समान नागरिक संहिता के स्वप्न को साकार किया जाये ।

“क़ानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा ज़रूर दी जानी चाहिए।“

–बी. आर. अम्बेडकर

समान नागरिक संहिता भारत में एकीकरण लाएगा तथा अनेकता में एकता के विचार को अधिक सशक्त करेगा , एक बार लागू होने पर यह संहिता विभिन्न धर्मो एवं संस्कृतियो के लोगो को एक कानून के दायरे में लाएगा इससे जन में समानता की भावना का विकास होगा । यह संहिता विभिन्न कानूनो जैसे शरीयत लॉ , हिन्दू कोड बिल आदि का सरलीकरण करने में सहायता करेगा साथ ही साथ विवाह , उत्तरधिकार, गोद लेने जैसे जटिल कानूनों को एक करके उनमें सरलता लाएगा । यह संहिता निजी कानून जोकि दशको से पारम्परिक मूल्यों पर न्यायिक विकल्प के रूप में चल रहे थे उन्हें हटा देगा । समान नागरिक संहिता से वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, यदि यह संहिता लागू की जाती है तो इससे नागरिको की

स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी बल्कि इससे उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त होगा। यह संहिता उस वोट बैंक के सामुदायिक राजनीति पर पूर्णविराम लगा देगा जिसको अनेक राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए मोहरा बना के उपयोग करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 जोकि धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते है वे समान नागरिक संहिता से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे।हिन्दू कोड बिल से हिन्दुओ में एक शादी को मंजूरी दी गयी, तलाक़ का अधिकार समान किया गया, पुत्रियों को भी संपत्ति में अधिकार मिला, उत्तराधिकार एवं तलाक़ के बाद भरण- पोषण का अधिकार प्राप्त हुआ। समान नागरिक संहिता यह नहीं कहता की विवाह किस प्रकार हो या परम्पराएं बदले, न ही खान-पान, पूजा, वेश- भूषा के बदलाव पर जोर देता है किन्तु कुछ धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा मांनने वाले समूह इसे धर्म की आढ़ में ले लेते है और इसको लागू नहीं होने देना चाहते। नागरिक संहिता से लैंगिक समानता आएगी एवं महिलाओ के सशक्तिकरण का मार्ग निर्मित होगा , विभिन्न धर्मो की महिलाए अपने आपको वंचित नहीं महसूस करेंगी । भिन्न-भिन्न कानून होने के कारण हमारी न्यायपालिका पर अत्यधिक कार्य का भार पड़ता है अत: समान नागरिक संहिता के आने से अनेक लंबित मामलो का फैसला जल्द होगा साथ ही साथ इससे न्यायपालिका को अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी । समान नियमों के आने से न्यायपालिका तीव्र गति से मामलो पर सुनवायी कर सकेगी और नागरिकों को बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे, समय एवं शक्ति की बचत के साथ समानता की भावना का भी विकास होगा । 2003 में समकालिक प्रधानमंत्री डॉ अब्दुल कलम ने भी इस संहिता का समर्थन किया था ।आज के भारत का शिक्षित वर्ग इसके महत्व को समझता है तथा इसका समर्थन भी करता है साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी इसको लागू करवाने का अथक प्रयास कर रही है।

डॉ. ताहिर महमूद, समाजशास्त्री-सह-विधिवेत्ता

समान नागरिक संहिता को पूर्ण रूप से लागू करने के पक्ष में है, प्रगतिशील एवं जागरूक मुसलमानों का यह विचार है की समान नागरिक संहिता से शरीयत में जो कमियां है उनका सुधर होगा, वह यह भी कहते है की मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से दूर हैं।

"मानवीय उन्नति ना तो स्वचालित है और ना ही अवश्यंभावी न्याय के उद्देश्य की ओर बढ़ाया गया प्रत्येक कदम समर्पित व्यक्तियों का अनथक परिश्रम, उत्कृष्ट अभिरुचि, त्याग, पीड़ा और संघर्ष चाहता है। सही काम करने के लिए समय हमेशा सही होता है।"

मार्टिन लूथर किंग जूनियर

समान नागरिक संहिता लाने के लिए जन को शिक्षित एवं जागरूक करना होगा, यह मार्ग कठिन है किन्तु उचित तरीके से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा यहाँ समान धर्मनिरपेक्ष अचार संहिता का होना अति आवश्यक है। शिक्षा में वृद्धि , जागरूकता ,सद्भावना ,सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों पर उचित एवं वैध चर्चा करके हम समान नागरिक संहिता को वास्तव में सफल बना सकते है एवं समानता, एकता तथा एकीकरण की भावना का विकास कर राष्ट्र के विकास में तीव्रता ला सकते है ।

संदर्भग्रंथ सूची-

1."Triple Talaq: Ban this un-Islamic practice and bring in a uniform civil code". Hindustan Times. 22 नव॰ 2017

2. Modern Indian Family Law Archived 2013-10-15 at the Wayback Machine - by Werner Menski
3. Ratnaparkhi, M. S. (7 अप्रैल 1997). "Uniform Civil Code: An Ignored Constitutional Imperative". Atlantic Publishers & Dist.
4. "Occasional Paper 7: Islamic Law and the Colonial Encounter in British India । Women Reclaiming and Redefining Cultures". www.wluml.org.18 अक्तूबर 2016
5.TOWARDS A UNIFORM CIVIL CODE
6."Ambedkar with UCC". Outlook India. 14 अप्रैल 2016
7. "How Muslim fears were allayed, and the UCC became a directive principle । India News - Times of India". The Times of India. 4 नवंबर 2017
8."सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार की खोली आंखें, कहा- एक देश एक कानून की दिशा में बढ़ो आगे". Dainik Jagran. 26 सितंबर 2019
9."देश में समान नागरिक संहिता के लिए नहीं हुए प्रयास: सुप्रीम कोर्ट । DD News". ddnews.gov.in
10.Shimon Shetreet; Hiram E. Chodosh (December 2014). Uniform Civil Code for India: Proposed Blueprint for Scholarly Discourse. Oxford University Press. ISBN 978-0198077121.
11.Ramchandran, Smriti Kak (6 August 2020). "BJP, RSS hope for consensus on Uniform Civil Code". The Hindu.
12.Pathak, Vikas (1 December 2015). "Ambedkar favoured common civil code". The Hindu...
13.Purandare, Vaibhav (8 September 2017). "How Muslim fears were allayed, and the UCC became a directive principle". The Times of India.

वेबसाइट लिंक-

1. https://www.brainyquote.com/topics/law-quotes
2.https://www.aajtak.in/india/story/know-about-uniform-civil-code-beyond-politics-375466-2016-07-07
3.https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-muslim-fears-were-allayed-and-the-ucc-became-a-directive-principle/articleshow/60417611.cms
4.https://www.scobserver.in/cases/shayara-bano-union-india-triple-talaq-case-background/
5.https://www.jivansutra.com/quotes/martin-luther-king-jr-quotes-in-hindi/